न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)

बइजलासः पवन कुमार, आर.ए.एस.
अपील संख्याः—24 / 2018

गुरदीपसिंह पुत्र श्री मल्लासिंह जाति रायसिख उम्र 52 वर्ष निवासी 7 ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज.)।

––– **अपीलांट**

बनाम्

1. श्यामदुलारी पुत्री किशनदास पत्नी देसराज जाति शर्मा निवासी सकोह पो.आ.खैर तहसील नूरपुर जिला कांगडा(हि.प्र.)हाल गांव महू तहसील नकोदर जिला जलंधर (पंजाब)
2. सरपंच, ग्राम पंचायत 15 ए(बी) पंचायत समिति अनूपगढ़। जिला श्री गंगानगर

–––**रेस्पोडन्टस**

अपील विरूद्ध इंतकाल आदेश दिनांक 05.12.2017

ग्राम पंचायत 15 ए 'बी'

::आदेश:: **दिनांकः— 27.08.2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट सं.—01 के पिता किशनदास पुत्र श्री दितुराम से वाके चक 15 ए का मुरब्बा नं.—305 / 453 के 25 बीघा भूमि पुख्ता आवंटित हुई थी कालान्तर मे उक्त मुरब्बा में सड़क आ जाने के कारण उक्त रकबा दो चकों में बंटकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार आवंटी किशन दास के नाम से वाके चक 17 ए ए तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नं.—305 / 453 के किला नं.1ता24 का 5.124 हैक्टर व चक 15 ए बी तहसील अनूपगढ़ का पत्थर सं.—305 / 453 के किला नम्बर6,15,16 व25 की 0.544 हैक्टर इस प्रकार कुल 25 बीघा कृषि भूमि दर्ज है। आवंटी किशनदास पुत्र श्री दितुराम का देहांत दिनांक 16.03.1985 को हो चुका है तथा किशनदास की पत्नी लीलादेवी की मृत्यु दिनांक—09.07.2012 को हो चुकी है। जिसके देहांत के उपरांत उनकी एक मात्र पुत्री रेस्पोडेंट सं.—01 विधिक व जायज वारिस है। आवंटी किशनदास द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी उक्त कृषि भूमि के संबध में करनैलसिंह पुत्र बुटासिह जाति रायसिख निवासी 15 ए को अपना मुख्त्यारेआम नियुक्त कर रखा था। और करनैलसिंह के पक्ष में एक मुख्त्यारनामाआम दिनांक—07.08.1978 का निष्पादित कर एवं उप पंजीयक श्री गंगानगर से पंजीबद्ध करवाकर उसे हर प्रकार से रहन बैचान क हक व अधिकार दिये हुए थे। आवंटी किशनदास की जायज जरूरत के लिए करनैलसिंह ने मुख्त्यारआम की हैसियत से आवंटी किशनदास की ओर से उक्त कृषि भूमि चक 17 ए व 15 ए [illegible] अनूपढ़ के मुरब्बा नं. —305 / 453 के 25 बीघा कृषि भूमि अपीलांट [illegible] 23.02.1985 की आंशिक अनुपालना मे आवंटी किशनदास के मुख्त्यारआम करनैलसिंह [illegible] कृषि भूमि का कब्जा मौका पर उसी दिन दिनांक—23.02.1985 को अपीलाट को सौप दिया था। जिस पर तब से लेकर आज रोज तक निरंतर अपीलांट का शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। लेकिन रेस्पोडेंट सं.—01 ने उक्त कृषि भूमि में से चक 15 एबी का मुरब्बा नं.—305 / 453 की 0.544 हैक्टर का विरास्तन इंतकाल सरपंच ग्राम पंचायत 15 ए बी से मिलीभक्त कर व तथ्यों को छुपाकर अपने नाम से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.10.11 12:32:39 IST
Reason: SelfAttested

जरिये प्रस्ताव सं.–01 दिनांक–05.12.2017 को स्वीकृत करवाकर इंतकाल सं.–213 दिनांक–05.12.2017 अपने नाम दर्ज करवा लिया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट की और से यह अपील प्रस्तुत की गई। सरपंच ग्राम पंचायत 15 ए बी का आलौच्य आदेश दिनांक 05.12.2017 कतई गलत, त्रुटिपूर्ण एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्ती के है। आलौच्य इंतकाल की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न अपील है। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भू.–राजस्व अधिनियम के आज्ञापरक प्रावधानों की अनदेखी कर एंव प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत जाकर आलौच्य इंतकाल आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः आलौच्य इंतकाल काबिल निरस्ती के है। अपीलाधीन कृषि भूमि का अलौच्य इंतकाल आदेश पारित करने से पूर्व सरपंच द्वारा अपीलांट को सुनवाई का कोई समुचित अवसर नहीं दिया, ना ही मौका पर कब्जा की जांच की गई और ना ही मजमे आम मे इंतकाल दर्ज किया गया है। अगर सरपंच द्वारा मौका पर जांच की जाकर इंतकाल दर्ज किया जाता तो सरपंच के समक्ष यह तथ्य प्रकट होते कि अपीलाधीन भूमि अपीलांट की जरिये ईकरारनामा खरीदशुदा है और अपीलांट के कब्जा काश्त मे है। लेकिन अपीलांट को आलौच्य आदेश बिना पूर्व सुनवाई का अवसर दियें तथ्यों को छुपाकर एवं गलत तथ्य प्रस्तुत कर एकपक्षीय पारित किय गया है। अतएवं आलौच्य इंतकाल काबिल निरस्ती के है। आवंटी किशनदास द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपनी उक्त कृषि भूमि के संबंध में करनैलसिंह पुत्र बुटासिंह जाति रायसिख निवासी 15 ए को अपना मुख्त्यारेआम नियुक्त कर रखा था और करनैलसिंह के पक्ष में एक मुख्त्यारआम दिनांक–07.08.1978 को निष्पादित कर एवं उप पंजीयक श्री गंगानगर से पंजीबद्ध करवाकर उसे हर प्रकार से रहन बैचान के हक व अधिकार दिये हुए थे। आवंटी किशनदास की जायज जरूरत के लिए करनैलसिंह ने मुख्त्यारआम की हैसियत से आवंटी किशनदास की ओर से उक्त कृषि भूमि चक 17 ए व 15 ए तहसील अनूपगढ़ के मुरब्बा नं–305/453 के 25 बीघा कृषि भूमि अपीलांट को जरिए इकरारनामा दिनांक–23.02.1985 की आंशिक अनुपालना मे आंवटी किशनदास के मुख्त्यारआम करनैलसिंह ने उक्त भूमि का कब्जा मौका पर उसी दिन दिनांक 23.02.1985 को अपीलांट का सौंप दिया था। जिस पर तब से लेकर आज रोज तक निरन्तर अपीलांट का शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को अनदेखी कर आलौच्य आदेश पारित करने मे भारी भूल की है। अतः आलौच्य आदेश काबिल निरस्ती के है। अपीलाधीन भूमि अपीलांट के निरन्तर कब्जा काश्त मे चली आ रही है जो अपीलांट को जरिये ईकरानामा खरीदशुदा है। जिस पर रेस्पोडेंट सं.–1 का कब्जा नही है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त महत्वपूर्ण बिन्दूओं का नजरअदांज कर आलौच्य आदेश पारित करने में भारी भूल की है।सरपंच ग्राम पंचायत 15 एबी का आलौच्य इंतकाल आदेश दिनांक 05.12.2017 का है जो कि अपीलांट को बिना पूर्व सुनवाई का अवसर दिये एवं नोटिस दिये बिना एक पक्षीय पारित किया है जिसकी अपीलांट को पूर्व मे कतई जानकारी नही थी अपीलांट द्वारा अपने पक्ष मे निष्पादित ईकरारनामा दिनांक–23.02.1985 के आधार माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायधीश, अनूपगढ़ के समक्ष दिनांक–20.12.2017 को वाद प्रस्तुत किया गया तो उक्त कार्यवाही के दौरान दिनांक 15.03.2018 को अपीलांट पटवारी हल्का से रिकॉर्ड लेने के लिए गया तो अपीलांट को पटवारी हल्का द्वारा आलौच्य इंतकाल दिनांक–05.12.2017 को रेस्पोडेंट सं.–1 के नाम विरास्तन इंतकाल होने के बारे जानकारी दी गई। जिस पर अपीलांट को आलौच्य आदेश की प्रथम बार जानकारी होने उपरांत अपीलांट ने आलौच्य इंतकाल की प्रति पटवारी हल्का से दिनांक 15.03.2018 को ही प्राप्त की तत्पश्चात अपीलांट ने अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त कर यह अपील तैयार करवाकर आज रोज बिना किसी देरी के अपील इल्म से अंदर मियाद पेश की जा रही है। जिसके लिए अलग से प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत पेश कर निवेदन किया जा रहा हैं। अपीलाधीन भूमि अपीलांट की जरिये ईकरानामा दिनांक–23.02.1985 से खरीदशुदा है जिस पर तब से लेकर आज

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.10.11 12:32:39 IST
Reason: SelfAttested

रोज तक अपीलांट का निरन्तर एवं शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा ईकरारनामा दिनांक–23.02.1985 की विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद पत्र माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अनूपगढ़ मे प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है इस प्रकार अपीलांट का अपीलाधीन भूमि में हित निहित है। लेकिन रेस्पोडेंट सं.–1 आलौच्य इंतकाल की आड लेकर अपीलाधीन भूमि से अपीलांट को बेदखल करने पर उतारू है अगर अपीलांट को अपीलाधीन भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपीलांट सरपंच ग्राम पंचायत 15 ए बी के आलौच्य इंतकाल से पूर्णतया सीधे तौर पर प्रभावित एवं व्यथित पक्षकार है। इसलिए अपीलांट आलौच्य इंतकाल के विरूद्ध अपील पेश करने विधिक अधिकारी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की तरफ से अधिवक्ता श्री तिलकराज चुघ उपस्थित आए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

बहस अपील सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री बलदेव सिंह ने तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया जिसका रेस्पोडेन्ट सं.1 के अधिवक्ता श्री तिलकराज चुघ ने विरोध किया एवं लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा उपरोक्त अपील को इकरारनामा दिनांक–23.02.1985 के आधार पर चुनौती दी गई है अपंजीकृत इकरारनामा से अपीलांट को कोई आधार प्राप्त नहीं है एवं इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय मे कार्यावाही एवं अनुतोष विधि सम्मत न होने के कारण अपील अपीलांट निरस्त की जानी न्यायसंगत है। प्रश्नगत इंतकाल विरासतन दर्ज किया जाना इंतकाल आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है। रेस्पोडेंट सं.–01 के अधिवक्ता द्वारा माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, अनूपगढ़ द्वारा पारित निर्णय पेश किया जिसका सादर अवलोकन किया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रार्थी गुरदीप सिंह का स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है। अपीलांट अपील मे वर्णित कृषि भूमि आज भी गैर खातेदार है। पौंग बांध विस्थापित से संबंधित जो नियम है उक्त नियम 6(3)(4)के अन्तर्गत गैर खातेदारी कृषि भूमि की अवधि के दौरान आवंटी को भूमि मे अन्य कोई संक्रमण व अन्तरण योग्य अधिकार प्राप्त नहीं होगें। भूमि का कोई भी अंतरण या अन्य संक्रमण किसी अन्य रूप में अनुज्ञात नहीं होगा। अपंजीकृत इकरारनामा के अपीलांट को कोई आधार प्राप्त नही है एवं इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय में कार्यवाही एवं अनुतोष विधि सम्मत न होने के कारण अपील अपीलांट निरस्त की जानी न्याय संगत है। अपीलांट को कोई लॉकल स्टेडिंग एवं टाईटल न होने के कारण अपील निरस्त फरमाई जानी चाहिए। अपीलांट के द्वारा इकरारनामा के आधार पर स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है इसी इकरारनामा के आधार पर माननीय न्याायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अनूपगढ़ मे विर्निदिष्ट अनुपालना का वाद पत्र पेश किया जिसमें न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त फरमा दिया गया। ऐसी स्थिति मे अंपजीकृत इकरारनामा के आधार पर प्रस्तुत अपील को निरस्त फरमाई जावें।

पत्रावली पर आए तथ्यों एवं दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। न्यायालय हाजा के संज्ञान में आया कि अपीलार्थी द्वारा इतकाल [illegible] 05.12.2017 को इकरानामा दिनांक 23.02.1985 द्वारा क्रय किया [illegible] चुनौती दी गई है। प्रश्नगत इंतकाल विरासतन दर्ज किया जाना इंतकाल आदेश के [illegible] न्यायालय के द्वारा वकील अपीलार्थी से निम्नांकित कानूनी बिन्दुओं पर लिखित [illegible] गया–

1. किन कानूनी आधारों पर फैसल इंतकाल को इकरारनामा के आधार [illegible] चुनौती दी जा सकती है?

2. हस्तगत अपील के निर्णयन में अपीलार्थी द्वारा उल्लिखित इकरारनामा की सत्यता/वैघता का निर्धारण न्यायालय हाजा द्वारा किन आधारों पर किया जायेगा, जबकि न्यायालय को संविदा/

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.10.11 12:32:39 IST
Reason: SelfAttested

इकरारनामें/समझौते से संबंधित दस्तावेजों की वैधता/अवैधता के निर्धारण से संबंधित कोई शक्तियां ही नहीं है।

3. उक्त बिन्दु संख्या (i) (ii) से संबंधित स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में क्यों न हस्तगत अपील को इसी स्तर पर खारिज कर दिया जावें।

वकील अपीलार्थी अपनी बहस में अथवा लिखित मन्तव्य के द्वारा न्यायालय द्वारा लेखबद्ध उपर्युक्त बिन्दू संख्या–01 एवं 02 के संबंध में उपयुक्त कानूनी स्पष्टीकरण देने में असफल रहे, अतः न्यायालय की राय में फैसल इंतकाल को किसी अपंजीकृत ईकरारनामा के आधार प्राप्त पर चुनौती नहीं जा सकती और न ही न्यायालय हाजा को किसी संविदा/ इकरारनामें/समझौते से संबंधित दस्तावेजों की वैधता/अवैधता के निर्धारण से संबंधित कोई शक्तियां प्राप्त है। रेस्पोडेंट सं. –01 द्वारा प्रस्तुत की गई कानूनी नजीरों आर.आर.टी 2019 (2) 1100, सूरज लैम्प एंड इंडिया प्राईवेज लिमिटेड बनाम् हरियाणा राज्य सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर.आर.टी. 2017(2) 1100 एवं आर.बी.जे. 2019 748 का ससम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त न्यायिक दृष्टांतो के अवलोकन से भी यह साबित है कि अमुदांकित इकरारनामे के आधार पर अपीलांट इस अपील के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेंट संख्या–01 का नाम बतौर रिकॉर्डेड टीनेन्ट दर्ज है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट को कोई लॉकस स्टेंडी व टाईटल न होने के कारण इकरारनामा के आधार पर अपीलांट कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

::आदेश::

उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर अस्वीकार की जाती है।

निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में आज दिनांक 27.08.2021 को सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Pavan Kumar
Date: 2021.10.11 12:32:39 IST
Reason: SelfAttested